

परियोजना का नाम:—

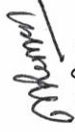
जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बनियास तक नव निर्माण का कार्य।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद चमोली में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए यातायात का होना अति आवश्यक है, यातायात न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास बिलकुल नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहां मार्ग निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। यह क्षेत्र यातायात से वंचित होने के कारण काफी पिछड़ा क्षेत्र है। पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1843 / III (2) / 16-06 (एम.एल.ए.) / 2015 दिनांक 02.06.2016 के द्वारा 5.00 कि.मी. लम्बाई में स्वीकृत किया गया है, मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3.25 कि.मी. आती है। जिसके निर्माण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। यहां के लोगों को अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए पैदल जाना पड़ता है। तथा सामान को अपनी पीठ पर ढोना पड़ता है जिससे समय अनावश्यक नष्ट हो जाता है।

यातायात की सुविधा इस क्षेत्र में उपलब्ध होने से फसलों की कीमत अच्छी मिलने की सम्भावना होगी। क्षेत्र वासियों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। भविष्य में यह क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से मिलने के कारण यह पर्यटक के लिए मार्ग बन सकता है। इस क्षेत्र में यातायात होना अति आवश्यक है। इस मार्ग निर्माण से ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही क्षेत्र वासियों से भी सम्पर्क किया गया है। इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।



अमीन

प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.

कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.

कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.

कर्णप्रयाग



अधिशाली अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.

कर्णप्रयाग